शुष्क क्षेत्रो में कृषि विकास हेतु सरकार की मुख्य योजनाएँ

जी.एल. बागड़ी*, एन.डी. यादव, वी.एस. राठौड़, एन.एस. नाथावत, एम.एल. सोनी एवं सीमा भरद्वाज

*प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विस्तार)

भा.कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, प्रादेशिक अनुसंधान स्थात्र, बीकानेर–334004

राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। राज्य यद्यपि खनिजों में धनी है लेकिन संसाधन इतने अधिक विकसित नहीं है कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप को परिवर्तित किया जा सके। राजस्थान राज्य की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन से ही अपना जीविकोपार्जन करती है। कृषि न केवल ग्रामीण जनसंख्या के व्यवसाय एवं आय का आधार है बल्कि औद्योगिक कच्चे माल का स्रोत और राज्य की अर्थव्ययवस्था की आधारशिला भी है।

राजस्थान का 60 प्रतिशत क्षेत्र मरूस्थल और 10 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय है। राजस्थान का अधिकांश भाग शुष्क प्रदेश है, जिसमें पानी का अभाव है। अतः कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाता है और मरूस्थलीय भूमि में सिंचाई के साधनों का अभाव पाया जाता है। अधिकांश खेती राज्य में वर्षा पर निर्भर होने के कारण राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है।

राज्य सरकार द्वारा कृषि की उन्नत तकनीकी अपनाने व उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा योजनाऐं संचालित की जा रही है जिनका विवरण निम्नानुसार है।

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना :

भारत किसानों का देश है जहां ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात (75%) कृषि पर आश्रित है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का अनावरण किया। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और खराब मौसम से उनकी रक्षा भी करेगी।

भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। भारत में कृषि के विकास से सम्बन्धित अनेक योजनाऐं हैं, किन्तु वे किसानों के कृषि संबंधित जौखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है।

भारत सरकार समय–समय पर किसानों की फसलों के लिए बीमा योजना लागू करती रही है। इससे पहले यह योजना विभिन्न स्वरूपों में लागू थी जैसे व्यापक कृषि बीमा योजना (1985), राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (1999), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित कृषि बीमा योजना (2007)।

Scanned with CamScanner

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना किसानों को किसी भी प्रकार की मौसम सम्बन्धी प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाले नुकसान से बचाती है।

- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान दो तरह से आवेदन कर सकता है। पहला ऑनलाईन द्वारा एवं दूसरा ऑफलाईन द्वारा। यदि कोई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फार्म घर बैठे ही अपने कम्प्यूटर या स्मार्ट फोन से भरना चाहता है तो इसके लिए वह भारत सरकार की कृषि बीमा वेबसाईट www.agri-insurance.gov.in पर जाऐं एवं वहां दिये दिशा–निर्देशानुसार फार्मर एप्लीकेशन पर क्लिक करें एवं इसके बाद दिये गये फार्म में सभी कॉलमों को भरे। जरूरत पड़ने पर अपनी खेत की फोटो, आवेदक की फोटो, किसान का आई. डी. कार्ड, घर का पता, खेत का खसरा नंबर एवं यदि खेत पर फसल बोई है तो उसका फोटो भी अपलोड करें। अगर किसान चाहता है कि फसल खराब होने की स्थिति में बीमे का पैसा किसान के बैंक खाते में सीधा जमा हो जायें तो किसान के बैंक खाते के कैंसल चैक की एक कॉपी भी अपलोड करे।
- दूसरे विकल्प के तौर पर किसान ऑफलाईन भी अपने फार्म को जमा करा सकता है। इसके लिए वह अपने नजदीकी बैंक में जाकर वहां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फार्म भली–भांति भरकर जमा करा दें। फार्म भरने के लिए किसान अपना एक वर्तमान का फोटो, किसान का आईडी कार्ड (पेन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशनकार्ड, जोबकार्ड इत्यादि) जिस पर किसान का फोटो एवं घर का पता अंकित हो, किसान के घर के पते का प्रूफ, खेत का खसरा नंबर का कागज, खेत पर फसल बोई है तो इसका प्रूफ इत्यादि भी साथ रखे।
- यदि खेत बटाई या किराये पर लेकर फसल बोई गयी है तो खेत के असली मालिक के साथ करार की कॉपी की फोटोकॉपी साथ जरूर लगायें। जिसमें खेत का खसरा नंबर साफ तौर पर लिखा होना चाहिए।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सम्बन्धी कुछ बातें :–
  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा की भुगतान की जाने वली प्रीमियम दरों को किसानों की सुविधा के लिए कम रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।
  2. इस योजना में फसल खराब होने पर तभी बीमा की रकम मिलती है जब फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुई हो, जैसे औला, जल भराव, बाढ़, तूफान, बरसात, जमीन धंसना इत्यादि।
  3. मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना इत्यादि से हुये नुकसान को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
  4. फसल बोने के अधिकतम 10 दिनों के अन्दर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फार्म भरना जरूरी है।
  5. फसल कटाई से लेकर अगले 14 दिनों तक फसल को यदि कोई प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो भी इस बीमा का लाभ मिलता है।

Scanned with CamScanner

6. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम दरे निम्न प्रकार हैं :–

क्रमांक	फसल / सीजन	प्रीमियम	अंतिम तारीख	कितनी फसलें हैं
1	खरीफ (धान या चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि)	2 प्रतिशत	31 जुलाई	35 से 40
2	रबी (गेहूं, जौ, चना, सरसों, मसूर आदि)	1.5 प्रतिशत	31 दिसम्बर	करीब 35
3	वाणिज्यिक	5 प्रतिशत	–	–
4	बागवानी	5 प्रतिशत	–	–

बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बुबाई नहीं कर पाता है तो यह जोखिम में शामिल है, उसे दावा राशि मिल सकेगी।

ओला, जल भराव, लेंड स्लाईड जैसी आपदाओं को भी स्थानीय आपदा माना गया है, सर्वे कर दावा राशि प्रदान की जावेगी।

फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और इस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि मिल सकेगी।

फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त औसत उपज गारंटी उपज से कम रहने पर बीमा क्लेम देय है।

फसल बीमा योजना ऋणी कृषकों के लिये अनिवार्य तथा गैर ऋणी कृषकों के लिये स्वेच्छिक है। गैर ऋणी कृषक फसल बीमा प्रीमियम एवं घोषणा पत्र इत्यादि बैंक में जमा कराकर योजना में शामिल हो सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ फसल में 2 प्रतिशत व्यय, रबी फसल में 1.5 प्रतिशत, वाणिज्यीक व उद्यानिक फसलों हेतु 5 प्रतिशत कृषक प्रीमियम राशि रखी गयी है। अधिक जानकारी के लिये www.pmfby.rajasthan.gov.in पर लॉगईन करें।

2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना–

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार ने फरवरी, 2015 में लागू की थी। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान का एक मृदा कार्ड निःशुल्क बनाया जायेगा जिससे किसान को उसके खेत की मिट्टी की गुणवत्ता का पता चल सके। कृषि विभाग के अधिकारी किसान के खेत की मिट्टी का परिक्षण करके किसान को मृदा सेहत कार्ड के जरिये उसके खेत की मिट्टी गुणवत्ता के बारे में बतायेंगें। इसके अलावा किसान को यह भी बताया जायेगा कि उसकी मिट्टी में किन पौषक तत्वों की कमी एवं अधिकता है तथा उसे दूर करने के क्या उपाय है। एक खेत के लिए हर 3 साल में एक बार मृदा कार्ड बनाया जायेगा।

सिंचिंत क्षेत्रों में 2.5 हेक्टर तथा असिंचित क्षेत्रों में 10 हेक्टर इकाई क्षेत्र से एक संयुक्त प्रतिनिधित्व नमूना लिया जाता है। एकत्रित नमूनों में मुख्य व शुक्ष्म पौषक तत्वों की जांच की जाती है। नमूनों की जांच विभागीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं एवं बाहरी पयोगशालाओं से कराई जाती है। यह

Scanned with CamScanner

हेल्थ कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। मुख्य एवं सुक्ष्म पौषक तत्वों, पानी के नमूनों की जांच, खारीय एवं लवणीय नमूनों की जांच, जिप्सम आवश्यकता की मात्रा हेतु जांच प्रत्येक प्रति नमूना राशि रुपये है।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन–

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, मल्टीक्रोप प्लाण्टर्स, डिस्क प्लाउ/हैरो तथा रिज फरो प्लाण्टर्स कृषि यंत्रो पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 15,000/– का अनुदान देय है। ट्रेक्टर ऑपरेटेड रीपर पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 30,000/– का अनुदान देय है। रोटावेटर/टर्बो सीडर कृषि यंत्र पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 35,000/– का तथा मल्टीक्रोप थ्रेसर पर मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 40,000/– का अनुदान देय है। लेजर लेण्ड लेवलर कृषि यंत्र पर 10 कृषकों के समूह के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1,50,000/– का अनुदान देय है। इस योजनान्तर्गत पम्पसेट सहायता कार्यक्रम में 10 एच.पी./7.5 किलोवाट तक के (केरोसिन के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के ईंधन से चलित/विद्युत) पम्पसेट पर क्रय लागत का 50 प्रतिशत या रु. 10,000/– जो भी कम हो, का अनुदान देय है। इसी योजनान्तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम के तहत समस्त जिलों में न्यूनतम 3 क्विंटल क्षमता की सीड स्टोरेज बिन पर मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा रु. 1000/– जो भी कम हो, का अनुदान देय है।

4. नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एण्ड ऑयल पॉम योजना–

नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एण्ड ऑयल पॉम योजना के अन्तर्गत हस्त/बैल चलित कृषि यंत्रों पर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 8,000 रु. अनुदान देय है। एस.सी./एस.टी./लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 10,000 रु. अनुदान का प्रावधान है। ट्रेक्टर/शक्ति चलित कृषि यंत्र एवं मल्टीक्रोप पावर थ्रेसर पर मूल्य का 40 प्रतिशत अधिकतम 50,000 रु. अनुदान का प्रावधान है। एस.सी./एस.टी./लघु/सीमांत एवं महिला कृषकों के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 63,000 रु. अनुदान का प्रावधान है।

5. कृषि यंत्र अनुदान वितरण कार्यक्रम–

कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुये अनुमोदित कृषि यंत्रों को क्रय करने पर कृषकों की श्रेणी के अनुसार 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।

पात्रता :

आवेदक के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होना/अविभाजित परिवार की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक का नाम होना आवश्यक है।

समस्त श्रेणी के कृषकों को लाभान्वित किया जावेगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिलाओं, बी.पी.एल., सीमान्त, लघु एवं अर्द्धमध्यम कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर वरीयता निर्धारित कर पात्र कृषकों को अनुदान दिया जायेगा। ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्हें आज तक विभाग की किसी भी योजना में कोई लाभ नहीं दिया गया हो।

Scanned with CamScanner

ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्र हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिये ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आवेदक के नाम से होना चाहिये। एक कृषक को विभाग की किसी भी योजना में एक प्रकार के कृषि यंत्र (उदाहरणार्थ–सीड कम फर्टीलाईजर ड्रिल, प्लांउ, थ्रेसर इत्यादि) पर तीन वर्ष की कालावधि में केवल एक बार ही अनुदान देय होगा। एक कृषक को एक वित्तीय वर्ष में समस्त योजनाओं में अलग प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जा सकेगा।

आपूर्ति स्त्रोत :

अधिकृत/पंजीकृत क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति अथवा राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/विक्रेता से कृषि यंत्र क्रय करने पर ही अनुदान देय होगा।

कृषि यंत्रों का क्रय :

हस्त् चलित/बैल चलित/शक्ति चलित/ट्रेक्टर चलित कृषि यंत्रों का क्रय कृषक किसी भी श्रेणी का यंत्र सम्बन्धित जिले के कृषि कार्यालय की लिखित सहमति के उपरान्त अधिकृत/पंजीकृत क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति/निर्माता/विक्रेता से मोलभाव पश्चात् पूरी कीमत चुकाकर सीधे ही क्रय कर सकेंगें।

कृषक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) के अन्तर्गत लोकल इनिशियेटिव कार्यक्रम में अनुमोदित सीड स्टोरेज बिन्स तथा मूवेबल थ्रेसिंग फ्लोर की कुल लागत में से निर्धारित अनुदान राशि कम कर शेष का भुगतान कर अधिकृत/पंजीकृत क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति से ऑफलाईन क्रय कर सकते हैं। लाभान्वित कृषकों की सूची एवं बिलों को सम्बन्धित जिला कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर अनुदान राशि का भुगतान सम्बन्धित क्रय–विक्रय सहकारी/ग्राम सेवा सहकारी समिति को किया जावेगा।

अनुदान आवेदन हेतु समय सीमा :

सम्बन्धित कृषक को यंत्र क्रय करने के उपरान्त यथाशीघ्र अनुदान हेतु आवेदन करना होगा तथापि कृषक सम्बधन्धित वित्तीय वर्ष में अनुदान हेतु पात्र माना जायेगा।

आवेदन प्रक्रिया :

अनुदान प्राप्त करने के लिये अपने क्षेत्र में स्थित ई–मित्र कियोस्का पर निर्धारित/लागू शुल्क, यदि कोई हो तो, जमा करवाकर समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अनुदान हेतु पंजीकरण की पावती सम्बन्धित कियोस्क द्वारा कृषक को दी जायेगी। सभी श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिये आवेदन पत्र के साथ कृषक की स्वा–हस्ताक्षरित बिल की प्रति, भामाशाह कार्ड/आधार कार्ड की प्रति, अनुदान क्लेम विभाग के स्थानीय कर्मियों/अधिकारियों के द्वारा प्रमाणित होना, बचत खाते की पासबुक की फोटो प्रति तथा अन्य वांछनीय दस्तावेजों की स्केन प्रतियां लगाया जाना अनिवार्य है। यदि कृषक द्वारा यंत्रों का क्रय अन्य जिलों के पंजीकृत स्त्रोतों से किया गया है, तो कृषक के द्वारा उस जिले के पंजीकृत आपूर्ति स्त्रोत का प्रमाण अनुदान क्लेम के साथ प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with CamScanner

अनुदान का भुगतान :

कृषकों के अनुदान क्लेम का भुगतान उनके बैंक खाते में ऑनलाईन ही देय होगा। अन्यों जिले के पंजीकृत स्त्रोत से कृषकों द्वारा सीधी खरीद के क्लेम का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जावेगा। पंजीकृत निर्माताओं / विक्रेताओं को सीधे अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

कहां सम्पर्क करें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर :– कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :– सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर :– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
- जिला स्तर पर :– उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।

6. डिग्गी हेतु अनुदान–

राज्य के नहरी क्षेत्र वाले जिलों में डिग्गी का निर्माण किया जाकर सिंचाई सुविधा को बढ़ावा दिया गया है।

अनुदान :

कृषक द्वारा न्यूनतम 4.00 लाख लीटर भराव क्षमता एवं इससे अधिक क्षमता की पक्की डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपये 350 / – प्रति घनमीटर भराव क्षमता तथा प्लास्टिक लाईनिंग (कच्ची) डिग्गी का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रुपये 100 / – प्रति घनमीटर भराव क्षमता अथवा अधिकतम रुपये 2.00 लाख, जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

पात्रता :

कृषक के पास कम से कम 1 हैक्टेयर सिंचित कृषि कार्य योग्य भूमि होना आवश्यक है।

आवेदन प्रक्रिया :

(अ) कियोस्क के माध्यम से–

- कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र / ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा।
- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा।

(ब) स्वयं द्वारा आवेदन–

- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload)करेगा।

Scanned with CamScanner

- आवेदक आवेदन पत्र ऑन–लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन–लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज–आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)

समय अवधि :

कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 30 दिवस मे निस्तारण करना होगा।

कहां सम्पर्क करें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर :– कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :– सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर :– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/उद्यान कृषि अधिकारी।
- जिला स्तर पर :– उप निदेशक कृषि (विस्तार)/उपनिदेशक उद्यान।

7. फार्म पौण्ड (खेत तलाई) कार्यक्रम–

भारी मिट्टी व कठोर निचली सतह वाली भूमि में वर्षा जल को एकत्रित कर सिंचाई के काम में लेने हेतु यह कार्यक्रम काफी कारगर है। अनुदान हेतु फार्म पौण्ड का आकार $20 \times 20 \times 3$ मीटर (1200 घन मीटर) से कम नहीं होना चाहिए ।

विभिन्न आकार के फार्म पौण्ड ($30 \times 30 \times 4, 30 \times 30 \times 3, 25 \times 25 \times 4, 25 \times 25 \times 3$ मीटर) जो न्यूनतम साइज से अधिक क्षमता के है, के निर्माण करने पर भी कृषकों को अनुदान देय है।

विभिन्न आकार के फार्म पौण्ड निर्माण पर लघु, सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को लागत का 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 60,000/– जो भी कम हो अनुदान देय होगा ।

सामान्य श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रुपये 60,000/– जो भी कम हो अनुदान देय होगा। यह कार्यक्रम राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

8. जल हौज निर्माण योजना–

राज्य में अधिक गहराई वाले कुओं तथा असामयिक विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में जल हौज का निर्माण कार्य अथवा नलकूप के जल को हौज में एकत्रित किया जाकर सिंचाई हेतु काम में लिया जाता है।

अनुदान :

सभी श्रेणी के कृषकों को न्यूनतम एक लाख लीटर भराव क्षमता आकार के जल हौज का निर्माण करने पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत या राशि रु. 350/– प्रति घन मीटर भराव क्षमता या अधिकतम रुपये 75000/– जो भी कम हो अनुदान की दर से नियमानुसार अनुदान देय होगा ।

Scanned with CamScanner

पात्रता :

कृषकों के नाम पर भूमि का न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि आधा हैक्टेयर का स्वामित्व हो।

आवेदन प्रक्रिया :

- कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र / ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा।
- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा।

स्वयं द्वारा आवेदन :

- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन–लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन–लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी।
- आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज–आधार कार्ड / भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो)।

समय अवधि :

कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 30 दिवस मे निस्तारण करना होगा।

कहां सम्पर्क करें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर :– कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :– सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर :– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
- जिला स्तर पर :– उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।

9. सिंचाई पाईप लाईन कार्यक्रम–

राज्य के समस्त जिलों में सिंचाई जल की कुशलता एवं उपयोगिता को बढाने हेतु कार्यक्रम क्रियान्वित है।

अनुदान :

सिंचाई पाईपलाइन पर स्त्रोत से खेत तक पानी ले जाने के लिए निर्धारित साईज के पी.वी.सी. / एच.डी.पी.ई. पाईप के क्रय पर समस्त श्रेणी के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रु.

Scanned with CamScanner

50/– प्रति मीटर एचडीपीई पाईप पर या राशि रु. 35/– प्रति मीटर पीवीसी पाईप पर या राशि रु. 20/– प्रति मीटर एचडीपीई लेमिनेटेड ले–फलेट टयूब पाईप पर अधिकतम राशि रुपये 15000/– जो भी आनुपातिक रुप से कम हो अनुदान देय होगा।

पात्रता :

जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुंए पर विद्युत/डीजल/टैक्टर चलित पम्प सैट है वे अनुदान के पात्र होगें। सामलाती कुंए पर अलग–2 पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग–2 पाईप लाइन पर अनुदान की मांग करते है तो अलग–अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग–अलग होना आवश्यहक है। सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदार कृषकों को स्त्रोत से एक ही पाईपलाइन दूर तक ले जाने में सभी कृषकों को अलग–2 अनुदान देय होगा।

कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड/ भामाशाह कार्ड संख्या देना अनिवार्य होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- कृषक नजदीकी नागरिक सेवा केन्द्र/ई–मित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन करा सकेगा।
- हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कियोस्क पर जमा कराये जाने के साथ रसीद प्राप्त करेगा।
- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करवायेगा।

स्वयं द्वारा आवेदन :

- आवेदक मूल आवेदन पत्र को ऑन–लाईन ई–प्रपत्र (e-Form) में भरेगा एवं आवश्यक दस्तावेज को स्केन कर अपलोड (Scan & Upload) करेगा।
- आवेदक आवेदन पत्र ऑन–लाईन जमा किये जाने की प्राप्ति रसीद ऑन–लाईन ही प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक मूल दस्तावेजों को स्वयं अथवा डाक के माध्यम से संबंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवायेगा जिसकी प्राप्ति रसीद विभाग के कार्यालय से द्वारा दी जायेगी।
- आवेदन पत्र के साथ अवश्यक दस्तावेज= आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड, जमाबंदी की नकल (छः माह से अधिक पुरानी नही हो) तथा सादा पेपर पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचिंत एवं असिंचित भूमि है।

समय अवधि :

कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 30 दिवस मे निस्तारण करना होगा।

लाभ प्राप्ति का स्त्रोत :

जिला स्तरीय संबंधित कृषि कार्यालय।

Scanned with CamScanner

कहां सम्पर्क करें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर :– कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :– सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर :– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/उद्यान कृषि अधिकारी।
- जिला स्तर पर :– उप निदेशक कृषि (विस्तार)/उपनिदेशक उद्यान।

10. बीज मिनिकिट–

राज्य योजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिनिकिट वितरण। मिनिकिट का आयोजन राजस्थान के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल की उपज एवं गुणवत्ता के आधार पर किस्म चयन में सहायक होती है। कमजोर वर्ग के कृषकों को मिनिकिट के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है।

पात्रता :

- मिनिकिट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों को प्राथमिकता से मिनिकिट का वितरण किया जाता है। कुल लागत का 10 प्रतिशत टोकन मनी के रूप में कृषक से वसूल कर मिनिकिट वितरण किये जाने हैं। मिनिकिट महिला के नाम से दिये जाने है। चाहे भूमि महिला के पति/पिता/ससुर के नाम से हो। एक महिला को मिनिकिट का एक ही पैकेट दिया जायेगा।
- एक ही कृषक परिवार की अलग–अलग कृषक महिला सदस्य के नाम से मिनिकिट नहीं दिये जावें।
- यदि किसी ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कृषक उपलब्ध नहीं हो तो सामान्य श्रेणी के महिला कृषकों में मिनिकिट वितरण किया जा सकता है।
- मिनिकिट्स हेतु ऐसे कृषकों का चयन किया जावें जिन्हें गत तीन वर्ष में मिनिकिट कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं किया गया हो।
- सिंचाई की सुविधा वाले कृषकों को प्राथमिकता दी जावे।

आवेदन प्रक्रिया :

- सहायक निदेशक कृषि विस्तार के कार्यालय में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से।
- चयन हेतु पात्र महिलाओं की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श कर ग्राम वार बनाई जावें।
- चयन हेतु पात्र महिला कृषकों की सूची कृषि पर्यवेक्षक द्वारा लक्ष्य से 3 गुना अधिक महिलाओं की सूची बनाई जाये तथा पात्र महिलाओं का चयन लाटरी पद्धति से किया जावें।

समय अवधि :

बुवाई समय 15 दिन से पूर्व।

Scanned with CamScanner

कहां सम्पर्क करें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर :– कृषि पर्यवेक्षक
- पंचायत समिति स्तर पर :– सहायक कृषि अधिकारी
- उप जिला स्तर पर :– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) / उद्यान कृषि अधिकारी।
- ज़िला स्तर पर :– उप निदेशक कृषि (विस्तार) / उपनिदेशक उद्यान।

11. फसल प्रदर्शन हेतु अनुदान–

फसल उत्पादन की उन्नत शष्य क्रियाओं एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शन का कृषक के खेत पर आयोजन। विभिन्न फसलों के फसल प्रदर्शन आयोजन हेतु निम्नानुसार अनुदान देय है :–

क्र सं	प्रदर्शन कार्यक्रम	प्रदर्शन पर देय अनुदान
	फसल का नाम	आदानों के वास्तविक व्यय का
1	मूंगफली, मूंग, मोठ, अरहर, उडद, ग्वार, गेहँ, चना, मसूर	अधिकतम 7500 रुपये प्रति है०
2	सोयाबीन	अधिकतम 4500 रुपये प्रति है०
3	सूरजमुखी	अधिकतम 4000 रुपये प्रति है०
4	तिल, अरण्डी, कुसुम, सरसों एंव तारामीरा	अधिकतम 3000 रुपये प्रति है०
5	कपास	अधिकतम 7000 रुपये प्रति है०
6	ज्वार, बाजरा, मक्का एवं जौ	अधिकतम 5000 रुपये प्रति है०
7	फसल पद्धती आधारित प्रदर्शन	अधिकतम 12500 रु० प्रति है०

पात्रता :

- ऐसे कृषक जो विभागीय शष्य क्रियाओं की अनुपालंना कर सकें तथा आवश्यतकता होने पर मापदण्ड के अनुसार देय सहायता राशि के अतिरिक्त राशि वहन कर सकें।
- चयनित प्रदर्शन क्षेत्र में शुष्क खेती प्रदर्शन के अलावा सिंचाई की सुविधा होनी आवश्ययक है।
- एक कृषक परिवार के एक ही सदस्य को प्रदर्शन आवंटन किया जाएगा।
- प्रदर्शन का आवंटन जिले की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति तथा बीपीएल परिवारों के कृषकों को प्राथमिकता। 30 प्रतिशत आवंटन महिला कृषकों को किया जाता है।
- प्रदर्शन आयोजन सघन क्षेत्र में होगा। सघन क्षेत्र एक गांव में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रदर्शन क्षेत्र के लिये समीपवर्ती गांव का भी चयन किया जा सकता है।
- प्रदर्शन में उपयोग लेने से पूर्व बीजों को विभागीय सिफारिश के अनुरूप फंफूदनाशी रसायन, कीटनाशक रसायन, राईजोबियम, कल्चयर / पी.एस.बी / एजेटोबैक्टर आदि से उपचारित किया जाना आवश्ययक होगा।

Scanned with CamScanner

- प्रत्येक फसल प्रदर्शन क्लस्टर का मृदा परिक्षण करवाकर मृदा परिक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही आवश्यक मुख्य पोषक तत्वों के साथ–साथ सुक्ष्म पोषक तत्वों का आवश्यपक रूप से उपयोग करते हुए फसल प्रदर्शनों का आयोजन।
- प्रदर्शन आयोजन स्थल पर प्रदर्शन प्लॉट के साथ–साथ एक सहज नियंत्रण प्लॉट भी होना आवश्यशक है।
- राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पॉम मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना अन्तर्गत एक किसान के खेत पर अधिकतम 1 हैक्टेयर का एक प्रदर्शन लगाया जा सकता है। जोत का आकार कम होने की स्थिति में प्रति किसान 1 हैक्टेयर से कम क्षेत्र सम्मिलित करने पर Pro-rata Basis पर अनुदान देय होगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में प्रत्येक किसान का कम से कम 0.4 हैक्टेयर क्षेत्रफल होना आवश्ययक है।
- ऐसे कृषक जिन्हें गत तीन वर्ष में फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में लाभान्वित नहीं किया गया हो।

आवेदन प्रक्रिया :

- फसल प्रदर्शनों के आयोजन हेतु कृषि पर्यवेक्षक द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में विचार विमर्श कर पात्र कृषकों का चयन किया जायेगा।
- कृषि पर्यवेक्षक द्वारा पात्र कृषकों का चयन कर लक्ष्य से तीन गुना अधिक सूची तैयार की जाएगी।
- फसल प्रदर्शन हेतु कलस्टर का चयन लॉटरी के माध्यम से आवेदन किया जायेगा।

समय अवधि :

बुवाई से कम से कम 15 दिन पूर्व।

कहां सम्पर्क करें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर :– कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति स्तर पर :– सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
- उप जिला स्तर पर :– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
- जिला स्तर पर :– उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला प्ररिषद कार्यालय

12. पौध संरक्षण आदान–

कीड़े, बीमारी व खरपतवार की रोकथाम के लिए रसायन, बायो–एजेंट, फेरोमोन ट्रेप आदि के लिए अनुदान सहायता।

क्र सं	पौध संरक्षण आदान का नाम	देय लाभ
1	फसलों में खरपतवारनाशी सहित पौध संरक्षण रसायन/ बायो एजेन्ट्स/बायो पेस्टीर्साइड / फेरोमोन ट्रेप/ ल्योर्स वितरण*	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 500 रू. प्रति हैक्टर जो भी कम हो देय है।

- (नोटः– *योजनाओं में आवंटित लक्ष्यानुसार ही कृषकों को लाभान्वित किया जा सकेगा)

Scanned with CamScanner

पात्रता : समस्त कृषक

आवेदन प्रक्रिया :

- कृषक द्वारा ऑफर्लाइन आवेदन किया जायेगा।
- पहचान हेतु आधारकार्ड / भामाशाह काड / बैंक की पास बुक की छायाप्रति आदि।
- आवेदन की जांच उपरान्त पंजीकृत निर्माता अथवा उनके चिन्हित विक्रय केन्द्रों / केवीएसएस / जीएसएस से कृषक द्वारा आदान क्रय किया जावेगा।
- आदान के भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुदान की गणना विभाग द्वारा तय न्यूनतम अनुमोदित दर पर की जावेगी।

13. पौध संरक्षण उपकरण–

कीड़े, बीमारी व खरपतवार की रोकथाम के लिए रसायन के प्रभावी उपयोग हेतु उन्नत छिड़काव व भुरकाव यंत्र आदि के लिए अनुदान सहायता।

देय लाभ :

क्र.सं.	पौध संरक्षण आदान का नाम	देय लाभ
1	मानव चलित* (नेपसेकफुट स्प्रेयरडस्टर आदि)	कीमत का 40–50 प्रतिशत या अधिकतम 600–800 रु. प्रति उपकरण
2	पावर चलित* (नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से कम क्षमता वाले)	कीमत का 50–60 प्रतिशत या अधिकतम 3000–3800 / –रु. प्रति उपकरण
3	पावर चलित* (नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले)	कीमत का 40–50 प्रतिशत या अधिकतम 8000–10000 / –रु. प्रति उपकरण
4	ट्रेक्टर माउण्टेड* (नेपसेक पावर स्प्रेयर 16 लीटर से अधिक क्षमता वाले)	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10000 / –रु. प्रति उपकरण
5	सीड ड्रेसिंग ड्रम*	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम (क्षमता 20 किलो ग्राम) 1750 / –रु. प्रति उपकरण कीमत का 50 प्रतिशतया अधिकतम (क्षमता 40 किलो ग्राम) 2000 / –रु. प्रति उपकरण

- (नोटः– *विभाग द्वारा योजनाओं में आवंटित लक्ष्यानुसार ही कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।)

Scanned with CamScanner

पात्रता : समस्त कृषक

(ऐसे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेंगी जिन्हें आज तक विभाग़ की किसी भी योजना में कोई लाभ नही दिया गया हैं तथा पूर्व में लाभान्वित कृषक उसी यन्त्र पर पुनः तीन वर्ष में लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।)

आवेदन प्रक्रिया :

- कृषक द्वारा ऑन र्लाइन/ऑफर्लाइन आवेदन किया जायेगा।
- आवेदन के साथ जमाबन्दी, फोटो, आधारकार्ड/भामाशाह कार्ड, बैंक की पास बुक की छायाप्रति आदि।
- आवेदन की जांच उपरान्त पंजीकृत निर्माता अथवा उनके चिन्हित विक्रय केन्द्रों/ केवीएसएस/ जीएसएस से कृषक द्वारा उपकरण की पूर्ण राशि जमा करवाकर क्रय किया जावेगा।
- उपकरण के भौतिक सत्यापन के उपरान्त अनुदान राशि का भुगतान विभाग द्वारा सीधे ही कृषक के खाते में हस्तान्तरण किया जायेगा।

कहां सम्पर्क करें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर :– कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति स्तर पर :– सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
- उप जिला स्तर पर :– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
- जिला स्तर पर :– उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय

14. प्रमाणित बीज वितरण हेतु अनुदान सहायता–

फसल उत्पादन में गुणवत्तायुक्त/प्रमाणित बीज का प्रमुख योगदान है। इससे ना केवल प्रति ईकाई फसल उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है, अपितु फसल उत्पादन के अन्य आदानों यथा उर्वरक, सिचाई आदि का भी समुचित उपयोग होता है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत प्रमाणित बीज वितरण पर देय लाभ का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	फसल	देय लाभ
1.	दलहनी फसले– मूंग, मोठ, उडद, अरहर, चना)	15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 2500 प्रति क्वि. जो भी कम हो
2.	मोटा अनाज– (बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ)	**किस्में**– 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 1500 प्रति क्वि. जो भी कम हो। **संकर किस्में**– 10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के

Scanned with CamScanner

		बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 5000 प्रति क्वि. जो भी कम हो।
3.	गेहूं एवं धान	10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 1000 प्रति क्वि. जो भी कम हो।
4.	ग्वार	10 वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 1200 प्रति क्वि. जो भी कम हो।
5.	तिलहनी फसलें– (सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरण्डी, सरसों)	**किस्में**– 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 2500 एवं तिल हेतु रुपये 5000 प्रति क्विं., जो भी कम हो। **संकर किस्में**– 15 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रुपये 5000 प्रति क्वि., जो भी कम हो।

पात्रता :

- समस्त श्रेणी के कृषक जिले में जनसंख्या के अनुपात में स्वपरागित फसल होने से तीन वर्ष में एक बार, परपरागित फसल हेतु दो वर्ष में एक बार एवं संकर किस्मों हेतु प्रति वर्ष अनुदान पर बीज प्राप्त किया जा सकता है।
- दलहनी फसले, मोटा अनाज, गेहँ, धान एवं ग्वार फसल के तहत एक कृषक को अधिकतम 2 है0 क्षैत्र हेतु अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज देय।
- समस्त तिलहनी फसलों हेतु अधिकतम 5 है० तक ही प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अनुदानित बीज पहले आओ पहले पाओं के सिद्धान्त पर उपलब्ध।

आवेदन प्रक्रिया :

- अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज प्राप्ति करने हेतु कृषक द्वारा संबंधित कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क करें।
- प्रपत्र में सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक / सहायक कृषि अधिकारी से सिफारिश उपरान्त उनके क्षैत्र में कार्यरत ग्राम सेवा / क्रय–विक्रय सहकारी समिति / सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिकृत निजी विक्रेताओं से सिफारिश की गई फसल की किस्म का बीज अनुदानित दर पर प्राप्त कर सकते है।

समयावधि : खरीफ, रबी व जायद हेतु उपयुक्त बुआई समय अनुसार।

बीज प्राप्ति स्थल :

ग्राम सेवा / क्रय विक्रय सहकारी समिति / सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिकृत निजी विक्रेता।

Scanned with CamScanner

कहां सम्पर्क करें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर :– कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति स्तर पर :– सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
- उप जिला स्तर पर :– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
- जिला स्तर पर :– उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय

15. जिप्सम वितरण कार्यक्रम–

जिलेवार निर्धारित प्रति मै. टन दर का 50 प्रतिशत अनुदानित दर पर किसानों को जिप्सम उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत जिप्सम का उपयोग मृदा सुधारक के रूप में मिट्टी की जांच के रूप में, जिप्सम की आवश्यक मात्रा के अनुसार अधिकतम पांच मेट्रिक टन प्रति हेक्टर प्रति कृषक, अधिकतम दो हेक्टर तक अनुदान देय है। कृषकों को पौषक तत्वों के रूप में 250 किलो/हैक्टर की दर से अधिकतम दो हेक्टर अनुदान देय है।

16. जैविक खेती को बढावा देने हेतु सहायता–

- परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के अन्तर्गत जैविक खेती को बढावा देने हेतु यह कलस्टर आधारित कार्यक्रम है जिसमे 50 एकड़ अथवा 20 हैक्टेयर क्षेत्र का एक कलस्टर में जैविक खेती का कार्यक्रम लिया जाता है।
- परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कलस्टर एप्रोच एवं पी.जी.एस. सर्टिफिकेशन के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है।
- इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षित कृषि को बढ़ावा देकर पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम की जा सकती है।
- राज्य के सभी जिलों में कुल 1150 कलस्टर्स क्रियान्वित किये जा रहे है।

देय लाभ :

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत प्रथम वर्ष में कम्पोनेन्ट/गतिविधिवार

क्र सं	कम्पोनेन्ट/गतिविधि	कृषकों को देय सहायता
1	भूमि का जैविक परिवर्तन	रुपये 1000/– प्रति एकड़ प्रति कृषक
2	फसल पद्धति एवं जैविक बीज हेतु सहायता	रुपये 500/– प्रति एकड प्रति कृषक
3	परम्परागत जैविक आदान उत्पादन ईकाई की स्थापना	1500/– रुपये प्रति इकाई की स्थापना हेतु प्रति कृषक
4	ढेंचा/ सनई प्रयोग हेतु सहायता	रुपये 1000/– प्रति एकड प्रति कृषक (प्रथम वर्ष)

Scanned with CamScanner

5	वनस्पतिक काढा इकाई की स्थापना	1000/– रुपये प्रति ईकाई/एकड़ की दर से प्रति कृषक
6	फॉस्फेतट युक्त जैविक खाद का प्रयोग	फॉस्फेट रिच जैविक खाद का प्रयोग करने हेतु रुपये 1000/– प्रति एकड प्रति कृषक
7	वर्मी कम्पोस्ट ईकाई का निर्माण	कलस्टर क्षेत्र में चयनित प्रत्येक कृषक द्वारा वर्मीकम्पोस्ट ईकाई का निर्माण करने पर (आकार 7 फीट लम्बा ई, 3 फीट चौडाई व 1 फीट उंचाई) रुपये 5000/– प्रति ईकाई
8	तरल बायोफर्टिलाइजर का उपयोग	रुपये 500/– प्रति एकड प्रति कृषक

परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत द्वितीय वर्ष में कम्पोनेन्ट/गतिविधिवार कृषकों को देय सहायता।

क्र सं	कम्पोनेन्ट/गतिविधि	कृषकों को देय सहायता
1	भूमि का जैविक परिवर्तन	रुपये 1000/– प्रति एकड प्रति कृषक
2	फसल पद्धति एवं जैविक बीज हेतु सहायता	रुपये 500/– प्रति एकड प्रति कृषक
3	ढेंचा/ सनई प्रयोग हेतु सहायता	रुपये 500/– दितीय वर्ष एवं रुपये 500/– तृतीय वर्ष प्रति एकड
4	तरल बायोपेस्टीसाईड के उपयोग पर सहायता	रुपये 500/– प्रति एकड प्रति वर्ष
5	नीम केक/नीम तेल पर सहायता	रुपये 500/– प्रति एकड़ प्रति वर्ष
6	जैविक उत्पादो पर पैकिंग, लेबलिंग एवं ब्रान्डिंग पर सहायता।	रुपये 1250/– प्रति एकड़ द्वितीय व रुपये 1250/– प्रति एकड़ तृतीय वर्ष के लिए

पात्रता :

कृषक के स्वयं के नाम से भूमि, कम से कम 0.4 हैक्टेयिर भूमि आवश्यक। 0.4 हैक्टेयर से भूमि कम होने पर अनुपातिक सहायता देय। चयनित कृषक को तीन वर्ष तक विभिन्न गतिविधियों हेतु सहायता का प्रावधान।

Scanned with CamScanner

आवेदन प्रक्रिया :

- कलस्टर (गाँव तथा किसान) का चयन कृषि पर्यवेक्षक द्वारा बैठक आयोजित कर किया जावेगा।
- चयनित कृषक द्वारा जमाबंदी, फोटो, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता संख्या आदि कृषि पर्यवेक्षक को उपलब्ध करवाई जायेगी ।
- विभिन्न गतिविधियों के पूर्ण होने पर भौतिक सत्यापन के उपरान्त कृषक के खाते में अनुदान राशि का सीधा हस्तान्तारण (डी.बी.टी.) किया जाता है।

कहां सम्पर्क करें :

- ग्राम पंचायत स्तर पर :– कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय
- पंचायत समिति स्तर पर :– सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय
- उप जिला स्तर पर :– सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय
- जिला स्तर पर :– उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय

सन्दर्भ (References) :

1. http://www.agriculture.rajasthan.gov.in/content/agriculture/en/Agriculture-Department-dep/ programs---schemes-html
2. Oprational guidelines, Pradhanmantri Fasal Bima Yojna, Govt. of India
3. https://kisansamadhan.com / राजस्थान–सरकार–की–योजनाए / राजस्थान–कृषि–योजनाएं / accessed on 05.07.2018.

❐ ❐ ❐

Scanned with CamScanner